राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट जयपुर, दिनांकः 08 फरवरी, 2019

आदेश

भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत होडा, गेणोली एवं बल्दरखां के आम चुनाव माह फरवरी, 2019 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधान इस आमचुनाव में भी लागू होंगे।

अतः पंचायत राज संस्थाओं के संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त ग्राम पंचायतों में तथा इनसे लगते हुए 5. कि.मी. परिधीय क्षेत्र में **दिनांक 12.02.2019 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 14.02.2019 को मतगणना समाप्ति तक** सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(बिष्णु चरण मल्लिक)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/ 452 दिनांक 06.02.2019 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, अजमेर
10. जिला आबकारी अधिकारी, भीलवाड़ा
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

पंचायतीराज संस्थाओं में माह फरवरी, 2019 में होने वाले तीन ग्राम पंचायतों के आम चुनाव हेतु चुनाव कार्यक्रम

ग्राम पंचायतों के नाम – होडा, गेणोली एवं बल्दरखां जिला भीलवाडा

1.	नियम 23 के सपठित नियम 56 के अन्तर्गत लोक नोटिस जारी करना	दि. 07.02.2019 (गुरूवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा व वापिसी	दि. 10.02.2019 (रविवार)
	समय	
	(1) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति	प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक
	(2) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वान्ह 11.30 बजे से
	(3) अभ्यार्थिता वापसी	अपरान्ह 3 बजे तक
3.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, होगा	दि. 14.02.2019 (गुरूवार)
4.	मतदान का समय	प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक
5.	मतगणना	दि. 14.02.2019 (गुरूवार) (मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	उप सरपंच का चुनाव	दि. 15.02.2019 (शुकवार)

5/2/2019